2018/00193

	अति० जिला कलक्टर कोटा	

मिसल नं० 4/2018 (रेफरेन्स) सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा बनाम तरसेम सिंह, हरिविन्द सिंह वगे०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-11-19	पेशकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि ग्राम भीमपुरा (केथून) के पूर्व ख० नं० 184 रकबा 13 बीधा 7 बिस्वा गैर मु० तलाई के नाम दर्ज रिकार्ड था । जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 मे ख० नं० 887,888 रकबा 0.25 है०, 1.68 है० तरसेम सिंह,हरबिन्दर सिंह वगे० सिक्ख नि० 908 दादाबाडी कोटा के खाता सं० 113 खातेदारी मे दर्ज कर दी गई जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है । अतः उक्त भूमि गै० मु० तलाई राजकीय खाते मे दर्ज करने का निवेदन किया गया । रेफरेन्स प्रा० पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि० किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । आपके कार्यालय द्वारा तामील कुन्दाओं के अभाव के कारण नोटिस अदम तामील लौटा दिये गये । इस पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु जर्ये रजिस्ट्री नोटिस भिजवाये गये । अप्रार्थी की मूल रजिस्ट्री वापस न्यायालय मे प्राप्त हुई जिसमे अंकित किया है कि अप्रार्थीगण अंकित पते पर निवास नही करते है । अप्रार्थीगण के सही पते की जानकारी प्राप्त करने हेतु इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/रीडर/एडीएम/2019/1057 दिनांक 29.10.2019 से तहसीलदार लाडपुरा को पत्र लिखा गया लेकिन आदिनांक तक कोई जवाब प्राप्त नही हुआ है । अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेन्स इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में सभी अप्राथीगण का सही पता अंकित कर अप्रार्थीगण का पूर्ण विवरण के साथ पुनः नये सिरे से उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल ही मय दस्तावेज तहसीलदार लाडपुरा को लौटाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अति० जिला कलक्टर कोटा (राज०) कोटा	